31.07.2024 ... की कार्यवृत्त

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : 896 / W-30 / 1236 दिनांक : 27-9-2024

मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा दिनाँक 18.09.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्तः—

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यो की प्रगति हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 18.09.2024 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :—

1. श्री अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
3. श्री मनोज कुमार मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता,खण्ड कार्यालय,उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. श्री अमित वर्मा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री अवधेश कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री शिवशंकर कनौजिया, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. श्री हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
9. श्री सुमित भटनागर, सी0बी0 एण्ड टी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
10. श्री राजेश कुमार चौहान, ए0जी0एम0, मै0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद।
11. श्री प्रवीन ठाकरे, डी0टी0एल0, मै0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
12. श्री देशमुख संकेत राजे, सेफ्टी इंजीनियर, मै0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है —

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ हेतु नामित फर्म मै0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना से असंतृप्त 669 नग राजस्व ग्रामों के संतृप्तिकरण हेतु कुल 376 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 04 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि विवाद एवं 13 नग पेयजल योजनाएं जिनमे 02 ग्राम पंचायत सम्मिलित कर योजनाए बनायी गयी है, जिस ग्राम पंचायत मे शिरोपरि जलाशय नही बनाया गया है, उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा कार्य प्रारम्भ नही करने दिया जा रहा है, जिस कारण पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। बैठक मे उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र ही भूमि विवाद का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर प्रधान द्वारा कार्य करने नही दिया जा रहा है, उनको लिखित रूप से पत्र जारी करते हुए अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
- समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि 442 नग नलकूप के सापेक्ष 438 नग कार्य पूर्ण, 442 नग पम्प गृह के सापेक्ष 434 नग कार्य पूर्ण, 381 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 88 नग कार्य पूर्ण, वितरण प्रणाली 4940 कि0मी0 के सापेक्ष 4801 कि0मी0 कार्य पूर्ण, 222975 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 200132 नग कार्य पूर्ण, 669 राजस्व ग्रामों मे सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों के

सापेक्ष 391 राजस्व ग्राम मे कार्य पूर्ण एवं 669 नग राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण के सापेक्ष 126 नग राजस्व ग्राम ही सत्यापित हो सके हैं।

उपरोक्तानुसार यह प्रतीत होता है कि शिरोपरि जलाशय, सड़क पुर्नस्थापना एवं हर घर जल प्रमाणीकरण मे कार्यदायी संस्था द्वारा विशेष रूचि नही ली जा रही है। ऐसी योजनाए जिनपर कार्य प्रारम्भ हुए 02 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, उन योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय के कार्य न पूर्ण होना, कार्य स्थल पर सामाग्री/मैन पावर की कमी को दर्शाता है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए पेयजल योजना के समस्त अवशेष कार्यों में समानान्तर अतिरिक्त टीम लगाते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्यों को अविलम्ब पूर्ण करायें।

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 553 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है, इसके पूर्व ली गयी बैठक मे 94 नग राजस्व ग्रामों मे क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही थी, वर्तमान मे मात्र 103 नग राजस्व ग्रामों मे ही क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है। इस प्रकार 01 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी फर्म द्वारा अतिरिक्त मात्र 09 राजस्व ग्राम मे ही क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति मे बढोत्तरी की गयी है, जिसकी प्रगति काफी दयनीय है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि 15 दिवस के अन्दर समस्त योजनाओं पर क्लोरीन प्लान्ट स्थापित करते हुए शतप्रतिशत क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जाये। इसमे किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों की गुणवत्ता/प्रगति से सम्बन्धित 3041 नग एन0सी0 फर्म को उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु वर्तमान तक 2402 नग एन0सी0 (78.98 प्रतिशत) ही क्लोज की गयी है। जिसकी प्रगति कम है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि टी0पी0आई0 से प्राप्त एन0सी0 की समीक्षा कर फर्म से अवशेष एन0सी0 को क्लोज कराना सुनिश्चित करें।
- बैठक मे टी0पी0आई0 के सेफ्टी इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों मे सुरक्षा मानक के दृष्टिगत सेफ्टी इंजीनियर की कमी है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अपने सेफ्टी इंजीनियर की सूची टी0पी0आई0 को उपलब्ध कराये, साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि सभी कार्य सुरक्षा मानक को ध्यान मे रखते हुए कराये जाए, किसी भी दशा मे सुरक्षा मानक की अनदेखी न की जाए। अन्यथा की दशा में फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
- समीक्षा बैठक में सडक पुर्नस्थापना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान कुल 2334 कि0मी0 सड़क काटी गयी थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 1949 कि0मी0 सड़क पुर्नस्थापित कर दिया गया है, वर्तमान मे 385 कि0मी0 सड़क पुर्नस्थापना का कार्य अवशेष है। अभी भी सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों की प्रगति संतोषजनक नही है। सड़क पुर्नस्थापना की शिकायतें विभिन्न स्तरो से भारी मात्रा मे प्राप्त हो रही है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि टी0एण्डपी0 एवं श्रमिकों की संख्या में वृद्धि लाते हुए उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए 07 दिवस के अन्दर सडक पुर्नस्थापना के समस्त कार्य पूर्ण कर लिए जाये। उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था मै0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद के समस्त ब्लाक इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि सप्ताह मे एक दिन खण्ड विकास अधिकारियो को उनके विकासखण्ड की प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें। जल निगम/एन0सी0सी0 ब्लाक इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि समस्त ग्राम प्रधानों से नियमित सम्पर्क स्थापित करते हुए कार्यों मे प्रगति लाए।
- समीक्षा बैठक मे अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के समस्त विकासखण्ड सभागार मे खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सड़क पुर्नस्थापना हेतु बैठक करायी गयी, उक्त बैठक मे जल निगम के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उक्त बैठक मे प्राप्त शिकायतों को कार्यदायी फर्म को लिखित रूप से

निश्चित समय मे गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हुए आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु 15 दिवस का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी फर्म द्वारा आख्या खण्ड कार्यालय को प्रेषित नही की गयी है। इस सम्बन्ध मे स्पष्ट निर्देश दिये गये कि 07 दिवस के अन्दर आख्या खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी योजनाओं पर कार्यो से सम्बन्धित आर0एफ0आई0 प्रतिदिन उपलब्ध नही करायी जाती है, जिस कारणवश जल निगम/टी0पी0आई0 के अभियन्ताओं द्वारा कार्यों की जॉच करने मे असुविधा होती है। उक्त के सम्बन्ध मे फर्म के प्रतिनिधि को उक्त कार्यो को कराने से 01 दिन पूर्व जनपद मे कराये जा रहे समस्त कार्यो की आर0एफ0आई0 की एक पी0डी0एफ0 फाइल उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिये गये।
- बैठक में उपस्थित डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को क्रियाशील किया जाये तथा उन्हे पानी के दुरूपयोग रोकने, खराब पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जन मानस को जागरूक किया जाये। साथ ही पूर्ण हुई योजनाओं पर जलकर वसूली के लिए आई0एस0ए0 के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाये। "स्वच्छता ही सेवा–2024" के अन्तर्गत (स्वभाव स्वच्छता एवं संस्कार स्वच्छता) कार्यक्रम मे आई0एस0ए0 को अपेक्षित सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया।

(अजय जैन)
मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ :–

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मै0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।
5. टी0पी0आई0, मै0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
6. डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
7. समस्त आई0एस0ए0, लखनऊ।

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।